

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज०)

पीठासीन अधिकारी: रामचन्द्र खटीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 22/2016

उनवान

शंकर पिता गोतमलाल जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

बापुलाल पिता गोतमलाल जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

चरणलाल पिता गोतमलाल जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढ़ी।

—: प्रार्थीगण

बनाम

बनाम पिता कचरु जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 21/8/2019

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के खाते, कब्जे व आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 11484/6541 (नक्षा ट्रेस में 6541/2) रकबा 0.14 हे०, सर्वे नम्बर 6540 रकबा 0.70 हे०, सर्वे नम्बर 6543 रकबा 0.10 हे०, सर्वे नम्बर 6545 रकबा 0.10 हे० ग्राम पालोदा पटवार इल्का पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा में स्थित है। उक्त सर्वे नम्बर 11464/6541 व सर्वे नम्बर 6540 प्रार्थीगण के खाता संख्या 716 (नई) 624 (पुरानी) संवत् 2068 से 2071 में ग्राम पालोदा तहसील गढ़ी में दर्ज रेकार्ड है। तथा खाता संख्या 715 (नई) 622 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 6543 रकबा 0.10 हे० भूमि ग्राम पालोदा तहसील गढ़ी में संवत् 2068 सं 71 में प्रार्थी शंकर के नाम दर्ज रेकार्ड है। एवं खाता संख्या 731 (नई) 640 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 6545 रकबा 0.10 हे० भूमि ग्राम पालोदा तहसील गढ़ी में संवत् 2068 से 71 में प्रार्थी बापुलाल के नाम दर्ज रेकार्ड है।

प्रार्थीगण उक्त खेतों में बरसो से अप्रार्थी के सर्वे नम्बर 6544 रकबा 0.11 हे० भूमि में से आवागमन कर रहे हैं। एवं प्रार्थीगण के खेतों में फसल बोनो के लिए बीज, कृषि कार्य करने के औजार, हल, बैलगाड़ी आदि के लिए भी अप्रार्थी के उक्त सर्वे नम्बर 6544 रकबा 0.11 हे० भूमि में से ही उपयोग/उपभोग करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण के खेतों में जाने के लिए ओर कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है तथा उक्त सर्वे नम्बर 6544 की कृषि भूमि में होकर आवागमन करने का एकमात्र रास्ता होकर बांसवाड़ा—डूंगरपुर राज्य मार्ग से लगा हुआ है। तथा प्रार्थीगण के उक्त बताये गये सर्वे नम्बर की भूमि में आने—जाने का ओर कोई रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण के उक्त खेतों का वर्षा का पानी भी अप्रार्थी के उक्त सर्वे नम्बर 6544 में से होकर राज्य मार्ग बांसवाड़ा—उदयपुर में से जाकर बहता है, क्योंकि प्रार्थीगण के उक्त खेत उंचाई मंगरी पर स्थित है एवं अप्रार्थी का खेत नीचे है। अप्रार्थी बार—बार गैर कानूनी रूप से उक्त अपने सर्वे नम्बर पर भराव कर वर्षा के पानी को अवरुद्ध करने का प्रयास करता है। अप्रार्थी के सर्वे नम्बर 6544 की कृषि भूमि बांसवाड़ा—डूंगरपुर राज्य मार्ग के मध्य बिन्दू से 132 फीट के अन्दर विद्यमान है और कानूनन इस भूमि का किसी अन्य प्रकार से अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाना संभव नहीं है। तथा प्रार्थीगण को उक्त भूमि में से बरसो से जो आवागमन कर रहे हैं उन्हें उक्त भूमि में नवीन रास्ता कायम करने की नितान्त आवश्यकता है। एवं अप्रार्थी आये दिन प्रार्थीगण को उक्त खाते की कृषि भूमि में आने—जाने में रुकावट पैदा करता है और कहता है कि रिकार्ड में कोई रास्ता नहीं है इसलिए तुम्हें आने—जाने नहीं दूंगा, ऐसा कह कर आये दिन रास्तों में रुकावट पैदा करता है। इसलिए अप्रार्थी के उक्त सर्वे नम्बर 6544 के उक्त बताये गये खेतों में खेती करने के लिये राजस्व रेकार्ड में 30 फीट चौड़ा रास्ता दर्ज करना आवश्यक है। जिस हेतु प्रार्थीगण रास्तों में आने वाली कृषि भूमि का प्रतिकर अदा करने को तैयार है।

प्रार्थीगण की ओर से परस्त प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्ट्रार किरा त्ताकर अप्रार्थीगण के नाम

प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली जाने पर तहसीलदार
315 दिनांक 14.2.2018 द्वारा भू-अभिलेख निरीक्षक पालोदा द्वारा प्रस्तुत मौका
पेश कर अवगत कराया गया कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी पन्नालाल के सर्वे नम्बर
0.11 हे0 भूमि में होकर आना-जाना किया गया जा रहा है। तथा प्रार्थीगण द्वारा
खातेदारी सर्वे नम्बर 6544 रकबा 0.11 हे0 में से 30X52 फीट का सार्वजनिक रास्ता
है जो मुख्य रोड़ से कम दूरी का रास्ता है। तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में
अन्य रास्ता नहीं होना बतलाया गया। जिस पर अप्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना-पत्र मय
प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में अन्य रास्ता उपलब्ध होने एवं भू-अभिलेख
द्वारा पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्ट को अपूर्ण, एक पक्षीय बताते हुए तहसीलदार गढ़ी को स्वयं
मेजकर रिकार्ड एवं मौके के अनुसार रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी के अभिभाषक के निवेदन पर न्यायालय द्वारा तहसीलदार गढ़ी को तलब कर
मौके पर जाकर रिकार्ड एवं मौकानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने निर्देश दिये गये।

तहसीलदार गढ़ी ने अपने पत्रांक: राजस्व/2019/1450 दिनांक 14.8.2019 द्वारा मौके
रिकार्ड के अनुसार स्थिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट की छाया प्रति दोनो
अभिभाषकगण का उपलब्ध कराई जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 21.8.2019 को
की गई। दिनांक 21.8.2019 को उभय पक्षकारान् के अभिभाषक की बहस सुनी गयी।
पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकार्ड एवं तहसीलदार गढ़ी द्वारा दिनांक 14.8.2019 को प्रस्तुत
रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार गढ़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार कमशः सर्वे नम्बर 6553, 6545, 6540,
6540/2, 6540/3, 10969/6539, 11162/6539, 11016/6539 पर पहुँच बाबत् ग्रेवल सड़क
पालोदा-विद्या निकेतन पालोदा तक जाने वाली) लगभग 40 फीट मौजूद है जिसका सर्वे नम्बर
654 दर्ज है।

उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट जाहीर हैं कि प्रार्थीगण के सर्वे नम्बरान् पर पहुँच के लिए रास्ता
रिकार्ड एवं मौके पर उपलब्ध है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज
किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.8.2019 को सुनाया गया।

(रामचन्द्र खटीक)

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बीसवाड़ा